न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–36 / 2011–12 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

1– हेमचन्द्र पुत्र स्व0 कुन्दन सिंह, निवासी–ग्राम शेखपुरा उर्फ कनखल, परगना ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार द्वारा सामान्य प्रतिनिधि सुभाष सिंह पुत्र स्व0 अमीर सिंह, निवासी–ग्राम शेखपुरा उर्फ कनखल, परगना ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार, 2. सुभाष सिंह पुत्र स्व0 अमीर सिंह, निवासी–ग्राम शेखपुरा उर्फ कनखल, परगना ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार।

बनाम

1– उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार, 2. श्रीमान अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, हरिद्वार, 3. श्रीमती उषा देवी पत्नी गौतम प्रकाश शर्मा, निवासी–362 / 2 / 3 बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार, 4. कु0 वन्दना पुत्री स्व0 जयराम शर्मा, निवासी–72 पार्क रोड़, देहरादून, 5. देवीदत्त शर्मा पुत्र स्व0 चन्द दत्त, निवासी– होली मोहल्ला, कनखल, हरिद्वार (मृतक) 6. रामानन्द (मृतक) पुत्र किरपा राम, निवासी–ग्राम शेखपुरा उर्फ कनखल, परगना ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार, 6 / 1. राजेन्द्र कुमार, 6 / 2. सुरेन्द्र कुमार, 6 / 3. देवेन्द्र कुमार, पुत्रगण रामानन्द, निवासी–ग्राम लिस्टाराबाद, डाकघर रानीपोखरी, तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून, 7. भूषण शर्मा पुत्र रतन शंकर, निवासी–ग्राम शेखपुरा उर्फ कनखल, परगना ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार

उपस्थित : एस0रामास्वामी, मा0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री आशुतोष शर्मा।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री रंजन सोलंकी।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी कैम्प देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–35 वर्ष 2006–07 श्रीमती उषा शर्मा आदि बनाम महेशचन्द्र आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 18–04–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के तथ्य निम्नवत हैः–

हेमचन्द्र पुत्र कुन्दनसिंह एवं उमरसिंह पुत्र गुरूदयाल, निवासीगण–शेखपुरा उर्फ कनखल, परगना ज्वालापुर, हरिद्वार ने बावत भूमि खसरा नं0–184 व 191 क्षेत्रफल 2 बीघा 16 विश्वा 10 विस्वाशी स्थित ग्राम शेखपुरा–कनखल, हरिद्वार का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 का वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, हरिद्वार के न्यायालय में दिनांक 24–05–1984 को प्रस्तुत किया। वाद के विचारण रहते हुए दिनांक 29–11–2004 को उषा शर्मा पत्नी गौतम प्रकाश शर्मा, निवासी–भेल हरिद्वार, देवीदत्त

पुत्र चन्द्रदत्त, निवासी–कनखल हरिद्वार एवं वन्दना शर्मा पुत्री जयराम शर्मा, निवासी–पार्क रोड़, देहरादून ने यह कहते हुए कि उषा शर्मा, गौतम प्रकाश एवं कुमारी वन्दना शर्मा के भाई विष्णुप्रिय ने वादग्रस्त भूमि दिनांक 18–03–1988 को बजरिये विक्रय पत्र क्रय की थी जिसका दाखिल खारिज का आदेश दिनांक 15–05–2001 को हो चुका है। पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, हरिद्वार के न्यायालय में प्रस्तुत किया। पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को विधिवत सुनवाई के उपरान्त यह कहते हुए कि–उषा शर्मा, देवीदत्त एवं विष्णुप्रिय जिसकी वसीयत के आधार पर वारिस कु0 वन्दना है, ने द्वारा बैनामा दिनांक 17–03–1988 क्रय किया जाना बताया गया लेकिन उनके द्वारा लगभग 10–12 वर्ष उपरान्त पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र कालबाधित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित नही है–आदेश दिनांक 25–05–2005 से पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

आदेश दिनांक 25–05–2005 के विरूद्ध उषा शर्मा आदि/अवर न्यायालय में पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2004 प्रस्तुत करने वाले प्रार्थी ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, शिविर न्यायालय, देहरादून में निगरानी प्रस्तुत की जिसे विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ने आदेश दिनांक 18–04–2012 से स्वीकार करते हुए पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2004 को निरस्त करने सम्बन्धी परीक्षण न्यायालय के आदेश का अंश निरस्त किया तथा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष निगरानीकर्तागण को पक्षकार बनाये का आदेश पारित किया। विद्वान अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18–04–2012 के विरूद्ध ही यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना तथा अवर न्यायालयों की पत्रावलियों का भली भांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2004 कालबाधित होने के आधार पर आदेश दिनांक 25–05–2005 से निरस्त किया गया है क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष इससे पूर्व कभी भी पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है न ही प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2004 के साथ विलम्ब को क्षमा करने हेतु समयावधि अधिनियम 1963 की धारा–5 के प्राविधानों के अन्तर्गत याचना की गई है जो कि विधितः आवश्यक है, कि बिना युक्तियुक्त विलम्ब से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार नही किया जा सकता है, कि प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10(2) व धारा–151 सी0पी0सी0 के आज्ञात्मक प्राविधानों से बाधित है, कि अवर न्यायालय आलोच्य आदेश पारित करते समय इस तात्विक व विधिक तथ्य का संज्ञान लेने में पूर्णतः विफल रहा है, कि प्रतिवादित विधिक सिद्धान्त के दृष्टिगत निगरानी न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में केवल मात्र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अनियमितता अथवा अवैधानिकता होने की स्थिति में ही हस्तक्षेप कर

सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता द्वारा कतिपय विधिक व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई है–2009 (74)एल0एल0आर0 849 (सु0को0), ए0आई0आर0 1986 सुप्रीम कोर्ट 446, ए0आई0आर0 1997 सुप्रीम कोर्ट 107, (2007) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 355, 1997 (1) सिविल कोर्ट केसेज 496 (सु0को0), (2004) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 191, 2007 (66) ए0एल0आर0 304, एल0पी0ए0/10/2000 गुजराज उच्च न्यायालय, 2008 (2) सुप्रीम 728, ए0आई0आर0 1994 सुप्रीम कोर्ट 2145, (2008) एस0सी0सी0आर0 285, 1998 (2) जे0सी0एल0आर0 572 (सु0को0), 2009 (108) आर0डी0 772 (सु0को0), 2010 (111) आर0डी0 357, ए0आई0आर0 1987 सुप्रीम कोर्ट 179, 2003 (5) ए0आई0सी0 764 (सु0को0), (2011) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज 1, ए0आई0आर0 2000 सुप्रीम कोर्ट 1165, ए0आई0आर0 1965 सुप्रीम कोर्ट 295 (पूर्ण पीठ)।

दूसरी ओर उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक एवं लिखित तथ्यों में मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किये गये है, कि प्रश्नगत सम्पत्ति को विपक्षीगण ने दिनेश कुमार मेहता के साथ मिलकर दिनांक 17–03–1988 को बजरिये विक्रय पत्र क्रय की थी विष्णुपिया की मृत्यु हो चुकी है और उसके हिस्से की मालिक, काबिज विपक्षी कु0 वन्दना हुई। दिनेश कुमार ने पक्षकार बनने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था जिसके विरूद्ध पत्रावली निगरानी/अपील में चलती रही इस कारण पहले विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सका। मा0 अपर राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश दिनांक 22–09–2003 के द्वारा दिनेश कुमार को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में रिट योजित की गयी परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश दिनांक 17–06–2004 के द्वारा वह रिट भी निरस्त करते हुए दिनेश कुमार को पक्षकार बनाये जाने का आदेश बदस्तूर रखा क्योंकि वाद में जो आधार दिनेश मेहता का था वह आधार विपक्षीगण का भी है इस कारण विपक्षीगण उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार है और विपक्षीगण को पक्षकार बनाया जाना उचित है, कि विपक्षीगण के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2004 पर किसी भी पक्षकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी, कि विपक्षीगण उक्त वाद में आवश्यक पक्ष होने के कारण विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2004 स्वीकार होने योग्य था परन्तु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी ने आदेश दिनांक 25–05–2005 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त कर गम्भीर भूल की जिसके विरूद्ध विपक्षीगण अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी कैम्प, कार्यालय देहरादून के न्यायालय में अपील संख्या–35 वर्ष 2005–06 उषा बनाम हेमचन्द्र प्रस्तुत की जो कि अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नगत आदेश के द्वारा स्वीकार की गयी, कि विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2004 अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 (2) सी0पी0सी0 स्वीकार होने योग्य है, कि आर0डी0 1989 पेज 113 "आदेश–1 नियम–10 (2) सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है।

आलोच्य प्रकरण में सर्वप्रथम मेरे द्वारा श्रीमती उषा शर्मा, देवीदत्त एवं कुमार वन्दना शर्मा का पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2004 का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उनके अथवा उनके पूर्वजों द्वारा दिनांक 18–03–1988 को विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है तथा अन्य क्रेताओं को पक्षकार बनाये जाने के आधार पर उन्हें भी पक्षकार बनाया जाय लेकिन प्रार्थना पत्र 10–12 वर्षो पश्चात अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारणों को कोई उल्लेख नही किया गया है न ही विलम्ब से प्रस्तुत पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र के साथ विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2004 के साथ कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी कैम्प, देहरादून ने जिस उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1404–1409 के आधार पर इस निगरानी में उत्तरदाता संख्या–3 से 5 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये है उस खतौनी की प्रमाणित प्रति मूल पत्रावली पर उपलब्ध नही है मात्र छायाप्रति कागज नं0–106/8 प्रस्तुत की गई है जो साक्ष्य में न तो पठनीय है न ही ग्राह्य है। तद्नुसार आक्षेपित आदेश पारित करने में विधिक एवं तात्विक अनियमितता परिलक्षित होती है।

परिसीमा अधिनियम–1963 की अनुसूची के क्रमांक–113 में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी वाद जिसके लिए कोई परिसीमा काल इस अनुसूची में अन्यत्र उपबन्धित नही है उसके लिए परिसीमाकाल तीन वर्ष ही है। तद्नुसार उत्तरदाता संख्या–2 से 5 द्वारा प्रस्तुत पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2004 अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा कालबाधित है तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी कैम्प, देहरादून का आक्षेपित आदेश दिनांक 18–04–2012 विधिक एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित है। तद्नुसार निगरानी स्वीकारणीय है तथा आक्षेपित आदेश अपास्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 18–04–2012 अपास्त किया जाता है। उत्तरदाता संख्या–2 से 3 विधिवत पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित की जाय।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक **08–12–2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।